



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273371
CG-DL-E-11062026-273371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2904]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948

No. 2904]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

का.आ. 3002(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2949(अ), दिनांक 15 सितंबर 2016 द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 88 के किमी 0.00 से किमी 223.70 (शिमला – मतौर) खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे आगे “प्राधिकरण” कहा जाएगा) को सुपुर्द किया है;

अब यतः, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात “नियम” कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 2005(अ) दिनांक 02.05.2025 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 88 (नया एनएच-103) के हमीरपुर बाईपस (ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट) के कोहली से प्रारम्भ होकर चिलवाहल तक डिजाइन किमी. 121+175 से किमी. 138+295 तक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 88 (नया एनएच-3, 303) के चिलवाहल से प्रारम्भ होकर भंगवार (निकट रानीताल) के डिजाइन किमी. 138+295 से किमी. 175.270 तक और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 88 (नया एनएच-303, 503) के डिजाइन किमी. 175.270 से किमी. 193.400 तक भंगवार (निकट रानीताल) से कांगड़ा बाईपास तक एनएच-154 के साथ इंटरसेक्शन तक 13.41 किमी [सारणी 2] की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए नीचे सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर चार या

अधिक विन्यास और चार लेन संरचना की कुल समतुल्य लंबाई 19.06 किमी (लंबाई 60 मीटर से अधिक) [सारणी 4] (कुल निवल लंबाई 1.906 किमी वाली [सारणी 4]), और 2.815 किमी [सारणी 3] की निवल सड़क लंबाई के साथ चार लेन बाईपास के लिए आधार दर का 150%, और 26.835 किमी [सारणी 2] की निवल सड़क लंबाई के लिए दो लेन और पेव्ड शोल्डर्स के लिए आधार दर का 60%, और 11.63 किमी (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) [सारणी 4] की कुल समतुल्य लंबाई के दो लेन वाली संरचना (कुल लंबाई 1.163 किमी वाली, [सारणी 4]), और दो लेन+पीएस के 26.096 किमी [सारणी 3] की बाईपास लंबाई के लिए आधार दर का 90% पर, नीचे सारणी 1 कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर शुल्क उदग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदग्रहीत और संग्रहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात्:-

सारणी-2		
टोल प्लाजा का स्थान (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय	दर जिस पर शुल्क संदेय है
हिमाचल प्रदेश राज्य में कांगड़ा जिले में घट्टा गाँव के नजदीक एनएच-88 (नया एनएच-503) के डिजाइन किमी 181+700 पर	13.41 [बाईपास की लंबाई (10 करोड़ से अधिक लागत) और संरचनाओं की लंबाई (>60 मीटर) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	26.835 [बाईपास की लंबाई (10 करोड़ से अधिक लागत) और संरचनाओं की लंबाई (>60 मीटर) को छोड़कर]	पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:-

सारणी-3						
टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ में)	
हिमाचल प्रदेश राज्य में कांगड़ा	हमीरपुर बाईपास	डिजाइन किमी 121+175	डिजाइन किमी 138+295	16.628	397.50	पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन

जिले में घट्टा गाँव के नजदीक एनएच-88 (नया एनएच-503) के डिजाइन किमी 181+700 पर				(संरचनाओं की लंबाई (>60 मी) को छोड़कर		के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	सादौन बाईपास	डिजाइन किमी 146+440	डिजाइन किमी 149+970	3.108 (संरचनाओं की लंबाई (>60 मी) को छोड़कर	87.58	
	ज्वालामुखी बाईपास	डिजाइन किमी 157+200	डिजाइन किमी 163+560	6.360 (संरचनाओं की लंबाई (>60 मी) को छोड़कर	85.52	
	कांगड़ा बाईपास	डिजाइन किमी 187+000	डिजाइन किमी 191+500	2.815 (संरचनाओं की लंबाई (>60 मी) को छोड़कर	150.00	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
कुल			28.911			

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग हेतु ऐसी संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

सारणी-4			
टोल प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
हिमाचल प्रदेश राज्य में कांगड़ा जिले में घट्टा गाँव के नजदीक एनएच-88 (नया एनएच-503) के डिजाइन किमी 181+700 पर	1.163 [^]	11.63	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	1.906 ^{^^}	19.06	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]विवरण निम्नलिखित है:-

60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाएं				
क्र.सं.	संरचना (चेनेज किमी)		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
1	124.605	124.823	2 लेन एमजेबी	0.218
2	131.752	131.912	2 लेन एमजेबी	0.160
3	134.725	134.839	2 लेन एमजेबी	0.114
4	142.078	142.148	2 लेन एमजेबी	0.070
5	148.494	148.915	2 लेन एमजेबी	0.421
6	168.521	168.701	2 लेन एमजेबी	0.180
कुल				1.163

^^विवरण निम्नलिखित है:-

60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाएं				
क्र.सं.	संरचना (चेनेज किमी)		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
1	180.339	180.494	4 लेन एमजेबी	0.155
2	181.975	182.041	4 लेन एमजेबी	0.066
3	187.100	187.693	4 लेन टनल	0.593
4	188.820	188.975	4 लेन एमजेबी	0.155
5	189.479	189.639	4 लेन वायडक्ट	0.160
6	189.859	190.111	4 लेन एमजेबी	0.252
7	190.891	190.961	4 लेन एमजेबी	0.070
8	190.993	191.448	4 लेन आरओवी-कम-वायडक्ट	0.455
			कुल	1.906

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 350 रुपए (रुपए तीन सौ पचास मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत **3246.57** करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्येक्षित है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एचपीडीआईवी-20013/31/2025-पीआईयू हमीरपुर/ ई-266844]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2026

S.O. 3002(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2949 (E) dated the 15th September 2016 issued under Section 11 of the National Highway Authority of India Act 1988 (68 to 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 0.00 to Km. 223.70 (Shimla – Mataur) of National Highway No. 88 in the state of Himachal Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), and in supersession of Notification No. S.O. 2005 (E) dated 02.05.2025, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for a net road section length of 13.41 km [Table 2], applicable for four-lane or higher configurations and for total equivalent length of four lane structure (having more than 60m length) of 19.06 Km [Table 4] (having total length of 1.906 Km [Table 4]), and at 150% of base rate for four lane bypasses with a net road length of 2.815 km [Table 3], and at 60% of base rate for two lane and paved shoulders for a net road length of 26.835 km [Table 2], and for total equivalent length of two lane structure (having more than 60m length) of 11.63 Km [Table 4] (having total length of 1.163 Km, [Table 4]), and at 90% of base rate for two lane + PS bypasses with a net road length of 26.096 km [Table 3], on the type of vehicles specified in column(1) of the Table-1 below, of highway starting from Hamirpur bypass (Green Field Alignment) starting from Kohli to Chil Bahal from Design Km. 121+175 to Km. 138+295 of National Highway No. 88 (New NH-103), Chil Bahal to Bhangbar (near Ranital) NH section from Design Km. 138+295 to Km. 175.270 of National Highway No. 88 (New NH-3, 303) and Bhangbar (near Ranital) to Kangra Bypass up to intersection with NH-154, NH section from Design Km. 175.270 to Km. 193.400 of National Highway No. 88 (New NH-303, 503) in the state of Himachal Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40

Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 181+700 of NH-88 (New NH-503) near Ghatta Village in Kangra district of Himachal Pradesh	13.41 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	26.835 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s): -

Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking off	Merging at	Length and cost of Bypass which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length in Km	Cost (in Crore)	
At Design Km 181+700 of NH-88 (New NH-503) near Ghatta Village in Kangra district of Himachal Pradesh	Hamirpur Bypass	Design Km. 121+175	Design km. 138+295	16.628 (Excluding length of structures (>60m))	397.50	90% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Nadaun Bypass	Design Km. 146+440	Design Km. 149+970	3.108 (Excluding length of structures (>60m))	87.58	
	Jwalamukhi Bypass	Design Km. 157+200	Design Km. 163+560	6.360 (Excluding length of structures (>60m))	85.52	
	Kangra Bypass	Design Km. 187+000	Design Km. 191+500	2.815 (Excluding length of structures (>60m))	150.00	
Total				28.911		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of Structure (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Km 181+700 of NH-88 (New NH-503) near Ghatta Village in Kangra district of Himachal Pradesh	1.163 [^]	11.63	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	1.906 ^{^^}	19.06	100% for four and more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The Details are as under: -

Sr. No.	Structure (Chainage km.)		Type of Structure	Length (km.)
1	124.605	124.823	2 Lane MJB	0.218
2	131.752	131.912	2 Lane MJB	0.160
3	134.725	134.839	2 Lane MJB	0.114
4	142.078	142.148	2 Lane MJB	0.070
5	148.494	148.915	2 Lane MJB	0.421
6	168.521	168.701	2 Lane MJB	0.180
			Total	1.163

^{^^}The Details are as under: -

Sr. No.	Structure (Chainage km.)		Type of Structure	Length (km.)
1	180.339	180.494	4 Lane MJB	0.155
2	181.975	182.041	4 Lane MJB	0.066
3	187.100	187.693	4 Lane Tunnel	0.593
4	188.820	188.975	4 Lane MJB	0.155
5	189.479	189.639	4 Lane Viaduct	0.160
6	189.859	190.111	4 Lane MJB	0.252
7	190.891	190.961	4 Lane MJB	0.070
8	190.993	191.448	4 Lane ROB cum Viaduct	0.455
			Total	1.906

- The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance to twenty kilometers from the fee plaza is Rs 350 (Rupees Three hundred and Fifty only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provision of the said rules.
- For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

- Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.
- All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
10. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
11. The estimated capital cost of the project is Rupees 3246.57 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. HPDIV-20013/31/2025-PIU Hamirpur/E-266844]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.